न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 106/14/ दुरूस्ती

जेठीदेवी पत्नी स्व. गोविन्दराम जाति जांगिड़ आय 48 वर्ष नि. बेणियोंका बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादीया/प्रार्थीया

बनाम

1. मूला पुत्र स्व. लक्ष्मण जाति जांगिड़ आयु 56 साल निवासी बेणियोंकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल अम्बिका नगर हरि नगर के पीछे, प्लाट नं. 13 उदना, उद्योग नगर सूरत (गुजरात)
2. राधेश्याम पुत्र स्व. कल्याणमल जाति जांगिड़ आयु 48 साल नि. बेणियोंकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. सांवरमल पुत्र स्व. कल्याणमल जाति जांगिड़ आयु 38 साल नि. बेणियोंकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. शंकरलाल पुत्र स्व. कल्याणमल जाति जांगिड़ आयु 31 साल नि. बेणियोंकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
5. छोटूराम पुत्र स्व. कल्याणमल जाति जांगिड़ आयु 26 साल नि. बेणियोंकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
6. तीजू पुत्री स्व. कल्याणमल पत्नी फतेह आयु 45 साल जाति जांगिड़ नि. बेणियोंकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल ढिढाणिया तन लिचाणा तहसील नांवा जिला नागोर
7. कुनणी देवी पुत्री स्व. कल्याणमल पत्नी बजरंग लाल जाति जांगिड़ आयु 43 साल नि. बेणियोंकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल ढिढाणिया तन लिचाणा तहसील नांवा जिला नागौर
8. कौशल्या पुत्री स्व. कल्याणमल पत्नी मालीराम जाति जांगिड़ आयु 41 साल नि. बेणियोंकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल नि. कांटिया तहसील नांवा जिला नागौर
9. जानकी देवी पत्नी स्व. कल्याणमल जाति जांगिड़ आयु 63 साल नि. बेणियोंकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
10. श्रवण पुत्र स्व. गोविन्दराम जाति जांगिड आयु 33 साल नि. बेणियोंकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
11. कमलेश पुत्र स्व. गोविन्दराम जाति जांगिड आयु 32 साल नि. बेणियोंकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
12. गजानंद पुत्र स्व. गोविन्दराम जाति जांगिड आयु 21 साल नि. बेणियोंकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
13. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा उद्घोषणा खातेदारी एवं संशोधित किये जाने वल्दीयत
एवं रिकार्ड संशोधन व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति— 1. श्री रेखराज पारीक वकील वादीया की ओर से

निर्णय   दिनांक— 14.03.2015

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नं. 328/485 रकबा 0.11 है0, 380 रकबा 0.37 है0, 331 रकबा 0.37 है0, 332 रकबा 0.38 है0, 335 रकबा 0.54 है0, 337 रकबा 0.62 है0, 338 रकबा 1.04 है0 किता 7 कुल रकबा 3.43 है. वाके

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

ग्राम नया बास प.मं. मण्ढा (सुरेरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसके पुराने खसरा नं. 861/1 मि. रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा है। वाद की मद सं. 1 में वर्णित भूमियों के वादीया एवं प्रतिवादीगण सं. 10 ता 12 का 1/3 हि. तथा प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हि. एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 9 का 1/3 हि. खातेदारी में है। उक्त वर्णित भूमि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 10 ता 12 के पूर्वज स्व. गोविन्दराम के 1/3 हि. की खातेदारी थी। उक्त भूमियां वादीया एवं प्रतिवादी सं. 10 ता 12 के पूर्वज स्व. गोविन्दराम को उनके पिता लक्ष्मण के फौत होने पर विरासत में मिली थी। लक्ष्मण के फौत होने पर जो विरासत का ना.करण सं. 568 भरा गया था उसमें वादीया एवं प्रतिवादी सं. 10 ता 12 के पूर्वज गोविन्दराम का नाम सहवन से अथवा अन्यथा रूप से गोपाल दर्ज हो गया जबकि गोविन्दराम का नाम कभी गोपाल नहीं रहा है। मृतक गोविन्दराम के वादीया एवं प्रतिवादी सं. 10 ता 12 वैध उतराधिकारीगण है। इस कारण गोविन्दराम जो कि बिना अपनी वसीयत के फौत होने एवं हिन्दू जाति के होने से हिन्दू लॉ के अनुसार वादीया एवं प्रतिवादी सं. 10 ता 12 प्रथम श्रेणी के वारिसान है। वादीया एवं प्रतिवादीगण सं. 10 ता 12 उक्त बाबत घोषणा करवाने के अधिकारीगण है इस कारण यह दावा बाबत उद्घोषणा खातेदारी का लाया जाना लाजिम आया है। उक्त वर्णित भूमियां वादीया एवं प्रतिवादी सं. 10 ता 12 के पूर्वज स्व. गोविन्दराम को उनके पिता स्व. लक्ष्मण की विरासत में प्राप्त हुई थी। उक्त विरासत का ना.करण सं. 568 दिनांक 23.10.1977 तस्दीक किया गया, में सहवन से अन्यथा रूप से राज्य अधिकारियों ने बिना संपूर्ण जांच के गोविन्दराम की जगह गोपाल नाम दर्ज कर ना. करण तस्दीक कर दिया जो गलत रूप से दर्ज हुआ है जबकि गोविन्दराम का नाम स्कूल रिकार्ड, राशन कार्ड एवं वादीया के **IGNWPS STATE RAJASTHAN** स्कीम में मिलने वाली राशि के दस्तावेजों में भी गोविन्दराम दर्ज है एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में भी गोविन्दराम नाम दर्ज है तथा ग्राम पंचायत मंढा सुरेरा द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र में भी गोविन्दराम नाम दर्ज है। इन दस्तावेजों में मृतक गोविन्दराम का कहीं भी गोपाल नाम दर्ज नहीं है। इस कारा से उक्त ना.करण सं. 568 में गोपाल की जगह गोविन्दराम दर्ज किया जाना न्यायसंगत है। अगर गोपाल की जगह गोविन्दराम दर्ज नहीं किया जाता है तो वादीया एंव प्रतिवादी सं. 10 ता 12 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से वादीया एवं प्रतिवादी सं. 10 ता 12 के विधिक अधिकारों का तथा आर्थिक एंव सांपतिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इस कारण उक्त ना.करण में गोपाल की जगह गोविन्दराम सही दर्ज किया जाना न्यायसंगत है। अतः में यह इस्तदुआ चाही है कि डिकी बहक वादीया एवं प्रतिवादी सं. 10 ता 12 विरूद्ध प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 एवं प्रतिवादी सं. 13 उद्घोषणा खातेदारी की इस कदर की फरमायी जावें कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजियात में वादीया एवं प्रतिवादी सं. 10 ता 12 मृतक खातेदार गोविन्दराम के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारीगण होने से हि. 1/3 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की उद्घोषणा किया जाना प्रार्थनीय है। डिकी बहक वादीया एवं प्रतिवादीगण सं. 10 ता 12 विरूद्ध प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 एवं प्रतिवादी सं. 13 संशोधित वल्दीयत राजस्व रिकार्ड एवं ना.करण सं. 568 नया बास प.मं. मंढा(सुरेरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में गोपाल की

Scanned with CamScanner

जगह गोविन्दराम सही नाम दर्ज करने के आदेश फरमाया जाना एवं उसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

2. वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 13 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीया ने वाद के समर्थन में स्वयं वादीया जेठी देवी पत्नी गोविन्दराम व मूला पुत्र श्री लक्ष्मण के शपथ पत्र पेश किये गये जिसके अनुसार गवाह मूला पुत्र लक्ष्मण ने कथन किया है कि मेरे भाई गोपाल पुत्र लक्ष्मण जाति जांगिड़ नि. बेनियों का बास के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त नाम पूर्णतया गलत है भाई का शुद्ध नाम राशन कार्ड, मतदाता फोटो प्रति, पहचान पत्र, शिक्षा संबंधी दस्तावेजात में गोविन्दराम पुत्रश्री लक्ष्मण जाति जांगिड़ नि. बेणियोंका बास दर्ज है, जो पूर्ण सही व सत्य है।

3. हमने वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादीया ने बहस के दौरान वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया व वादीया एवं प्रतिवादी सं. 10 ता 12 के पूर्वज गोपाल का सही नाम गोविन्दराम दर्ज फरमाया जावें। इस सम्बन्ध में स्कूल रिकार्ड, ग्राम पंचायत, मण्ढा–सुरेरा द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड की प्रतिया पेश की गई। स्वयं वादीया जेठी देवी पत्नी गोविन्दराम व मूला पुत्र श्री लक्ष्मण के शपथ पत्र पेश किये गये जिसके अनुसार गवाह मूला पुत्र लक्ष्मण ने कथन किया है कि ''मेरे भाई गोपाल पुत्र लक्ष्मण जाति जांगिड़ नि. बेनियों का बास के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त नाम पूर्णतया गलत है भाई का शुद्ध नाम राशन कार्ड, मतदाता फोटो प्रति, पहचान पत्र, शिक्षा संबंधी दस्तावेजात में गोविन्दराम पुत्रश्री लक्ष्मण जाति जांगिड़ नि. बेणियोंका बास दर्ज है, जो पूर्ण सही व सत्य है।'' इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय लोक अदालत में पीठ के अन्य सदस्यगण से चर्चा की गई उनके द्वारा दुरूस्ती किये जाने की सहमति व्यक्त की गई। अतः प्रस्तुत दस्तावेजात व राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना के आधार पर ना.सं. 568 व वर्तमान राजस्व अभिलेख में आंशिक संशोधन करते हुए प्रार्थीया जेठी के पति व अप्रार्थी/प्रतिवादी सं. 10 ता 12 के पिता गोविन्द राम का नाम गोपाल के स्थान पर गोविन्द राम किये जाने के दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है। शेष इबारत पूर्ववत राजस्व अभिलेख रहेगी। प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार दुरूस्ती की जाने का निवेदन किया गया। तद्नुसार तहरीर जारी हो।

4. यह आदेश आज दिनांक 14.03.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

दांतारामगढ़

Scanned with CamScanner